बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक–06 / विविध(ई–रिक्शा)–07 / 2015 परि0 6591

प्रेषक,

बलराम प्रसाद,
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार,

पटना, दिनांक–9/11/16

विषय : ई–रिक्शा / ई–कार्ट को परमिट शुल्क से मुक्त रखे जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं0–का0आ0–2812(अ) दिनांक–30.08.2016 द्वारा ई–रिक्शा / ई–कार्ट जो क्रमशः मालों (बोझ) एवं वैयक्तिक सामान के साथ यात्रियों का वहन करने में उपयोग किये जाते हैं, को परमिट की आवश्यकता से मुक्त रखे जाने हेतु प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के आलोक में बिहार राज्य में ई–रिक्शा / ई–कार्ट के परिचालन हेतु परमिट की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु विभागीय अधिसूचना 1425 दिनांक–16.03.2016 के आलोक में गठित जिला स्तरीय कमिटी के द्वारा परिचालन हेतु मार्गो / रूटों का निर्धारण किया जाएगा। विनिर्दिष्ट मार्गो / रूटों पर ही ई–रिक्शा / ई–कार्ट का परिचालन किया जाएगा

अतः अनुरोध है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ई–रिक्शा / ई–कार्ट के परिचालन हेतु मार्गो / रूटों का निर्धारण करते हुए उक्त वाहनों का परिचालन सुनिश्चित किया जाय एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

8/11/16
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6591 पटना, दिनांक–9/11/16

प्रतिलिपि :–सभी मोटरयान निरीक्षक / सभी प्रर्वतन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/11/16
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

O/C

F:\Dilip Jee Docs\...247